प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 24.08.2021

दिनांक 21.08.2021 को थाना क्षेत्र मांधाता के ग्राम पवारपुर में जमीनी विवाद के दौरान युवक को गोली मारकर मृत्यु कारित करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना मांधाता)

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 21.08.2021 को थाना क्षेत्र मांधाता के ग्राम पवारपुर में दो पक्षों द्वारा आपस में जमीन की पैमाइश की जा रही थी जिसके दौरान एक पक्ष के मुख्तार उर्फ गुड्डू पुत्र सनाउल्लाह निवासी पवारपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ को गांव के ही दूसरे पक्ष द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था व उपचार हेतु ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में वादी की तहरीर पर थाना मांधाता पर मु0अ0सं0 336/2021 धारा 302, 307, 147, 148, 149, 34,504, 506 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान थाना मांधाता के प्रभारी निरीक्षक श्री श्रवण कुमार सिंह मय हमराह के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के गजेहड़ा जंगल पुल के पास से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अदद तमंचा व 04 अदद कारतूस बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. मो0 मुस्ताक पुत्र स्व0 मो0 इसराइल निवासी झलिया पवारपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।
02. मो0 असजद पुत्र मो0 असलम निवासी झलिया पवारपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।
03. मो0 इरसाद पुत्र मो0 यूनुस निवासी झलिया पवारपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।
04. मो0 महमूद पुत्र मो0 समून निवासी झलिया पवारपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01– 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस
02– 01 अदद तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस

पंजीकृत अभियोग–

01.– मु0अ0सं0 337/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम मो0 असजद उपरोक्त।
02– मु0अ0सं0 338/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम मो0 इरशाद उपरोक्त।

पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री श्रवण कुमार सिंह, उ0नि0 श्री दयाल दास, उ0नि0 श्री राजेश कुमार, उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय, उ0नि0 श्री राकेश चौरसिया, उ0नि0 वरूण कुमार सिंह, आरक्षी अभिषेक कुमार, आरक्षी सौरभ शर्मा, म0कां0 नेहा यादव व म0कां0 रचना कुमारी चौहान थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।

गैंगस्टर के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के थाना कुण्डा से प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार भारती मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 131/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बाबूलाल पुत्र बैजनाथ निवासी काजीपुर महाराजगंज, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 24.08.2021